कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच

–::–निविदा विज्ञप्ति–::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, नीमच में पक्षकारों ओर अन्य की सुविधा हेतु फोटोकापी मशीन संचालन हेतु निर्मित कक्ष में फोटोकापी लगवाई जाना है।

अतः विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधिन जो संस्थान या व्यक्ति इस न्यायिक स्थापना पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से फोटोकापी मशीन स्थापित किए जाने के इच्छुक हों, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार निविदा दिनांक 09/07/2025 के शांय 5.00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के कार्यालय मे डाक के माध्यम से अथवा स्वंय उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।

नियत समयावधि के उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 12/07/2025 को शांय 4.00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि (यदि उपस्थित हो तो) के समक्ष कय समिति, जिला न्यायालय नीमच के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

निविदा का प्रारूप, नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईट **www.mphc.gov.in/tenders** एवं **www.neemuch.dcout.gov.in** पर भी देखी जा सकती हैं।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच, मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच

निविदा की शर्ते

01. एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई राशि रूपये 10000/– की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 01 वर्ष की अवधि के लिये वैध हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के कार्यालय में आवश्यक रूप से दिनांक 09/07/2025 को शाम 5.00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए।

02. अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना अग्रिम राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निवदाऐं निरस्त कर दी जाएगी।

03. निविदाएं दिनांक 12/07/2025 को शाम 5.00 बजे जिला न्यायालय की कय समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में कय समिति के सदस्यों के समक्ष उन सभी उपस्थित व्यक्तियों, जिन्होंने निविदाऐं प्रस्तुत की है (यदि उपस्थित हो तो) के समक्ष खोली जावेगी। सभी प्रारूप हस्ताक्षरित होने चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए तथा बंद लिफापे पर प्रस्तुत की जाने वाली निविदा का विवरण उल्लेखित किया जाना अनिवार्य हैं।

04. जिस निविदाकर्ता की निविदा चुनी जाएगी उसे स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस गारंटी के रूप में पांच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर./अंकाउट पेय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैध होगी, जिसमें वारंट/त्रुटी, उत्तरदायित्व यदि हो, भी शामिल होगे।

05. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसके द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भितर अनुबंध निष्पादित कर फोटोकापी मशीन आवंटीत स्थान पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र जिला रजिस्ट्र. सिविल कोर्ट, नीमच के साथ निष्पादित किया जावेगा।

06. नियत समयावधि में अनुबंध पत्र निष्पादित कर फोटोकॉपी मशीन स्थापित नहीं करने पर स्वीकृति पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा की गई बैंक ग्यारंटी जप्त कर ली जा कर द्वितिय निविदाकर्ता को स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी।

07. संस्था के द्वारा प्रतिलिपि, प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय दैयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जाएगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति तथा एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जाएगी।

08. फोटोकॉपी मशीन, जिला न्यायालय परिसर में निर्मित सर्विस बिल्डिंग में आरक्षित कक्ष में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार उपलब्ध कराये गये स्थान पर स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को संबंधित संस्था/वेंडर को सुनिश्चित

करना होगा तथा फोटोकॉपी संचालन का समय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जा सकेगा।

09. **फोटोकॉपी मशीन स्थापित करने हेतु आरक्षित कक्ष में 06 वर्ग मीटर (8X8 वर्ग फिट) का स्थान उपलब्ध कराया जावेगा, जो अधिकतम 04 व्यक्तियों/संस्था को उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त उपलब्ध कराये गये स्थान हेतु संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा रूपये प्रति वर्ग मीटर रूपये 50/– रूपये की दर से कुल रूपये 300/– प्रतिमाह निर्धारित है।**

10. **निविदाकर्त्ता द्वारा तीन माह की किराया राशि अग्रिम चालान द्वारा शासन के शीर्ष कमांक.. में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा कराई जावेगी। अग्रिम राशि जमा नहीं की जाने पर अमानत राशि जप्त की जाकर किराया राशि वसूल की जावेगी तथा किया गया अनुबंध तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।**

11. फोटोकॉपी संचालन को स्वयं के व्यय पर विद्युत कनेक्शन (सब–मिटर) स्थापित करना होगा।

12. निविदाकर्ता को निविदा के साथ स्थापित की जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की विस्तृत विवरण (कंपनी का नाम/मॉडल नंबर/उर्जा खपत हेतु वाट रैंटिंग आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. एक ही संस्था/व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर एक ही फोटोकॉपी मशीन स्थापित की जा सकेगी।

14. एक ही संस्था/व्यक्ति द्वारा चारों स्थानों हेतु अथवा पृथक पृथक संस्था/व्यक्ति द्वारा पृथक पृथक स्थान हेतु निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।

15. अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिये वैध होगी। सेवा से संतुष्टि के आधार पर अनुबंध राशि पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि कर, समान नियम एवं शर्तो पर अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा

16. कोई परिवहन व्यय दैय नहीं होगा तथा फोटोकॉपी मशीन के रख रखाव के लिए संबंधित संस्था/व्यक्ति स्वयं जिम्मदार होगा।

17. संबंधि संस्था/व्यक्ति को फोटोकापी संचालन हेतु तथा कर्मचारी की बैठक हेतु फर्नीचर आदि की व्यस्था स्वयं करना होगी।

18. संबंधित संस्था/व्यक्ति को, स्थापित की जाने वाली फोटोकापी मशीन की संख्या व मशीन का विवरण निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा ही विद्युत दैयक का भुगतान किया जावेगा।

19. व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाने अथवा बिना अनुमति फोटोकापी की दर में वृद्धि की जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिपूर्ति को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही संबंधित संस्था/व्यक्ति को ब्लैक लिस्टेड किया जाकर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

20. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना उपपट्टेदार नहीं रखा जा सकेगा।

21. संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा अथवा उनके कर्मचारी द्वारा जानबूझकर अथवा अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

22. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पास अनुबंध समाप्त किया जाने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।

23. उपलब्ध कराये गये स्थान (कक्ष) में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

24. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि निविदा के पूर्ण होने से पहले निविदा को निरस्त कर सकेंगे।

25. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय समय पर फोटोकापी हेतु आवंटीत कक्ष का निरीक्षण किया जा सकेगा व किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा संबंधित संस्था/व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

26. बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा के बंद लिफापे पर जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

27. भविष्य में आवश्यकता होने पर उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका क्षैत्राधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के पास रहेगा।

28. किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बाल श्रमिक से कार्य नहीं लिया जावेगा।

29. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा तथा कोई हल नहीं निकलने पर उसे एक मात्र मध्यथ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि विशेष न्यायाधीश(एट्रो.), नीमच होंगे, के समक्ष रखा जावेगा।

30. विशेष न्यायाधीश(एट्रो.), नीमच का पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मध्यस्थ की भूमिका निभायेंगे। मध्यस्थ के द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जाएगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, NEEMUCH(MP)

LIMITED TENDER PROFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quatation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES)

S.No.	Particulars	Rate per Copy			
		(A-4 size	Legal size	A-3 size	Any other Paper size
1	Sinale Side Photocopy on one Sheet				
2	Photocopy on back to back side on one sheet				

2- Machine Model No. and Make ____________________

3- Earnest Money details ____________ date __________ for Rs 10000/-

Bank Name ____________________

4- PAN No. ____________________

5- Tin No. ____________________

The terms of Conditions of the tender are acceptable to me/us

Signature ____________________

Name ____________________

Adress with seal and Date ____________________

____

____

Phone No- (O) ____________________

(M) ____________________

(R) ____________________